

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ० पी० चंदेलिया

प्रकरण सं० : 60/2023

ओम प्रकाश जांगिड़ पुत्र चन्दू राम जांगिड़ जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी किराडाबडा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादी

आज यह वाद सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी व प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा किराडाबडा के खाता सं० 85/38 के खसरा संख्या 138, 142 कुल खसरा 2 की 8.979 है० में 1/6 हिस्सा तथा रोही मोजा किराडाबडा के ही खाता सं० 79/39 के खसरा सं० 510/142 की 1.163 है० में 1/3 हिस्सा और रोही मोजा मुन्दडियाबडा के खाता सं० 34/42 के खसरा सं० 218, 222 कुल खसरा 2 की 11.862 है० में 1/3 हिस्सा वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी का नाम ओमप्रकाश पुत्र चन्दूराम दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही नाम ओम प्रकाश जांगिड़ पुत्र चन्दू राम जांगिड़ है। अतः रोही मोजा किराडाबडा के खाता सं० 85/38 के खसरा संख्या 138, 142 तथा रोही मोजा किराडाबडा के ही खाता सं० 79/39 के खसरा सं० 510/142 और रोही मोजा मुन्दडियाबडा के खाता सं० 34/42 के खसरा सं० 218, 222 में वादी का नाम ओमप्रकाश पुत्र चन्दूराम की जगह ओम प्रकाश जांगिड़ पुत्र चन्दू राम जांगिड़ किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच ओमप्रकाश पुत्र चन्दूराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में ओमप्रकाश पुत्र चन्दूराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी ओमप्रकाश पुत्र चन्दूराम नाम प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि कृषि भूमि में ओमप्रकाश का हिस्सा बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



12-08-24
 (ओमप्रकाश चंदेलिया)
 सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा
 भादरा, जिला हनुमानगढ़